औद्योगिक नगरी 50 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहीत होगी

औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने समीक्षा में दिए निर्देश

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार औद्योगिक नगरी के लिए इस साल 50 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर 25 हजार एकड़ उद्योगों को देगी। अधिकारियों को भूमि आवंटन और अधिग्रहण के निर्देश दिए गए हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सोमवार को पिकप भवन में यूपीसीडा के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए भूमि बैंक बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों के बंद होने और उनकी भूमि खाली पड़े रहने पर नाराजगी जताई। बंद उद्योगों की भूमि का उपयोग करने के लिए उद्यमियों को बॉय बैक पॉलिसी की जानकारी दी जाए और पुर्नआवंटन के प्रयास किए जाएं। बंद उद्योगों को पुनः चालू करने और उद्यमियों को कम से कम हानि हो, इसके लिए ही बॉय बैक पॉलिसी बनाई गई है। इसके तहत बंद फैक्ट्री की भूमि यूपीसीडा को वापस की जा सकती है। इसके बदले में मौजूदा दर का 60 प्रतिशत उद्यमी को दिया जाएगा।